


02.04.2025:-पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अर्न्तगत प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.ए. मे चक नम्बर 14 एस.टी.जी. के खाता सख्या 85/10 के पत्थन नम्बर 78/295 (47) के किला नम्बर 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6 ता 24 मे 6.0720 हैक्टेयर मे से 139/1518 हक व हिस्सा खातेदारी मे प्रार्थी की सही जाति रामगढिया के स्थान पर तरखान की राजस्व रिकॉड अंकित किया जाने का श्रम करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार हनुमानगढ के रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसमे तहसीलदार हनुमानगढ के पत्र क्रमांक सख्या एल.आर./2025/राजस्व/69 दिनांक 13.05.2024 द्वारा हस्तगत प्रकरण से प्राप्त हुई जिसमें प्रमाणित दैनिक डायरी दिनांक 17.03.2025 द्वारा अंकित किया कि खातेदार रूपसिंह पुत्र गोविन्द की जाति रामगढिया के स्थान पर तरखान किया जाना प्रस्तावित है पत्रावली को अवलोकन किया गया। जिसमे मुताबिक दैनिक डायरी, ग्रम सरपंच रिपोर्ट, आदि का अवलोकन किया जिसमे प्रार्थी की सही जाति तरखान अंकित है। इसलिए उक्त आधारो पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हनुमानगढ का आदेशित किया जाता है कि चक नम्बर 14 एस.टी.जी. के खाता सख्या 85/10 के पत्थन नम्बर 78/295 (47) के किला नम्बर 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.226, 4/2/0.025, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6 ता 24 मे 6.0720 हैक्टेयर मे से 139/1518 हक व हिस्सा खातेदारी मे प्रार्थी की सही जाति रामगढिया के स्थान पर तरखान दर्ज कर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे। आदेशानुसार अमलदरामद किया जावे पत्रावली फैसला शुमार कर दाखिल दफतर की जाती है आदेश खुले इजलास सुनाया गया।


सदस्यक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

